संख्या-133/2022/1/231800/2022/002-71-2099-256-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2022

विषयः- संस्थान परिसर के अंतर्गत नर्सो हेतु टाइप-03 (80 नग) (जी+10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अभि0/एन0बी0-106/ 2018 /398/2022, दिनांक 06-10-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर के अंतर्गत नर्सो हेतु टाइप-03 (80 नग) (जी+10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि रू0 1,12,28,095.00 की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-51/2019/07/71-2-2019-37/2018, दिनांक 30-10-2019 द्वारा संस्थान परिसर में नर्सो हेतु टाइप-03 (80 नग) (जी+10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु 2892.33 लाख + (जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से रू0 2747.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान में नर्सो हेतु टाइप-03 (80 नग) (जी+10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1,12,28,095.00 (रू0 एक करोड़ बारह लाख अटठाइस हजार पन्चानवे रूपये मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>**

1. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
4. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
5. निदेशक/वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त् नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,12,28,095 ( रुपये एक करोड़ बारह लाख अट्ठाईस हजार पंचानबे मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( अशोक कुमार )
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-133/2022/1/231800/2022/002-71-2099-256-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( मुमताज अहमद सिद्दीकी )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।